निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 440/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

केपरी ग्लोबल हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय– प्लॉट नं. 2, तृतीय तल, राम विहार, सिरसी रोड, पांच्यावाला, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती तन्नू मिश्रा पत्नी श्री संजीव कुमार मिश्रा,
   पता:– 56–ए, दुर्गा विहार कॉलोनी, हसनपुरा, एनबीसी के पीछे, अजमेर रोड़, जयपुर।
   अन्य पता:– मार्फत आकाश एन्टरप्राईजेज, दुकान नं. 32–ए, श्री कल्याणेश्वर हनुमान मंदिर के पास, स्टॉफ कॉलोनी के पीछे, जयपुर।
   अन्य पता– फ्लेट नं. 305, द्वितीय तल, यश अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. टी–56, टी–57 एवं टी–58, नारायण विहार, टी ब्लॉक, श्रृंगारपुरा, सांगानेर, जयपुर।
2. श्री संजीव कुमार मिश्रा पुत्र श्री हरीशचन्द्र मिश्रा,
   पता:– 56–ए, दुर्गा विहार कॉलोनी, हसनपुरा, एनबीसी के पीछे, अजमेर रोड़, जयपुर।
   अन्य पता:– फ्लेट नं. 305, द्वितीय तल, यश अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. टी–56, टी–57 एवं टी–58, नारायण विहार, टी ब्लॉक, श्रृंगारपुरा, सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :– श्री नवीन शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 17.12.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05.07.2023 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती तन्नू मिश्रा पत्नी श्री संजीव कुमार मिश्रा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. टी–56, टी–57 एवं टी–58, नारायण विहार, टी ब्लॉक, श्रृंगारपुरा, सांगानेर, जयपुर के द्वितीय तल पर स्थित फ्लेट संख्या 305, क्षेत्रफल सुपर बिल्टअप एरिया 1140 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 29,80,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.09.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 29,80,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 31,14,375/– रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 13.09.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती तन्नू मिश्रा पत्नी श्री संजीव कुमार मिश्रा के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. टी–56, टी–57 एवं टी–58, नारायण विहार, टी ब्लॉक, श्रृंगारपुरा, सांगानेर, जयपुर के द्वितीय तल पर स्थित फ्लेट संख्या 305, क्षेत्रफल सुपर बिल्टअप एरिया 1140 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 17.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner